भाग - 2

(संबद्ध उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाये)

क्र.	विवरण	
16.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	
(i)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	मध्यप्रदेश
(ii)	जिला	बैतूल
(iii)	जिला वन प्रभाग	उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल
(iv)	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	1650.000 हे.
17.	पूर्वेक्षण के लिये पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	आरक्षित वनभूमि आर.एफ. - 121 , आर.एफ. - 125 , आर.एफ. - 132 , आर.एफ. - 126, आर.एफ. - 127 , आर.एफ. - 128 एवं संरक्षित वन भूमि (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 4 (1) के तहत अधिसूचित / प्रस्तावित), वनकक्ष क्रमांक- पी.- 388 , पी.- 389, पी.- 390, पी.- 1595
18.	अपवर्जन के लिये प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	भिरा , तेंदु, साज, लेंडिया , धावड़ा , कारी , सागौन, पीपल, पलास
(i)	वन का प्रकार	संरक्षित वन एवं आरक्षित वन
(ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.2 से 0.4
(iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराये जाने के लिये अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	कोई भी वृक्ष नही काटे जायेंगे ।
(iv)	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लिये कार्यकरण योजना का नुस्खा	1. सर्वेक्षण के समय स्थानीय वनाधिकारी को साथ रखा जावेगा । 2. भारत सरकार के निर्देशानुसार न तो कोई वृक्ष काटे जावेगे न ही वनभूमि को कोई क्षति पहुंचाई जावेगी । 3. सर्वे के समय साथ रहने वाले वनाधिकारी का दायित्व होगा कि वह भरसक प्रयत्न करेगी , परियोजना वनक्षेत्र के बाहर होगा । 4. सर्वे का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन साथ लगाया जावेगा । 5. प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर ही शासन स्तर पर निर्णय लिया जावेगा ।
19.	भूक्षरण के लिये पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	सामान्य
20.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	वन भूमि की सीमा के अंदर स्थित है ।
21.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	सामान्य

(i)	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	सांभर , रीछ , नीलगाय एवं भेड़की
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कारीडोर वन्य जीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किये जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियां उपाबद्ध की जायें)	नहीं ।
(iii)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान , वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. के भीतर अवस्थित है । (यदि ऐसा है , तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका- टिप्पणियां उपाबद्ध की जायें)	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान , वन्य जीव अभयारण्य , बाघ रिजर्व कॉरीडोर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है अपितु आवेदित क्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थिति है।
(iv)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान , वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिये उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 01 कि.मी. के भीतर अवस्थित है । (यदि ऐसा है , तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका- टिप्पणियां उपाबद्ध की जायें)	नही ।
(v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं , यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं ।
22.	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्तवपूर्ण संस्मारक अवस्थित हैं (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नही ।
23.	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दे	-
(i)	क्या भाग -1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है ।	हॉ
(ii)	यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है ।	-
24.	किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र में अतिक्रमण नही है ।
(i)	क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतो के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया हैं (हां / नही)	नही

(ii)	यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	-
(iii)	क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नही)	नही।
25.	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे	प्रकरण सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण से संबंधित है।
(i)	क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	
(ii)	अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें	
(iii)	क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है	
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हॉ / नही)	
(v)	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तिय उपरिव्यय	
(vi)	क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हॉ / नही)	
26.	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से संबंधित महत्तवपुर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट संलग्न है (हॉ / नही)	संलग्न है।
27.	स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	आवेदित क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कर बोर होल किये जाने पर वनों पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं। सर्वेक्षण में वृक्षों को गिराया जाना भी प्रस्तावित नहीं है। अत: स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान : - बैतूल

तारीख : - 9-10-2017

हस्ताक्षर

नाम (राखी नंदा)

शासकीय मुद्रा भा.व.से.2007

वन मंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा.)वनमडल